प्रेस नोट दिनाँक 22.07.2022

(1). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 70 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(क). चौकी प्रभारी सीतापुर श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त नेकितन पुत्र स्वं0 भुलई निवासी राघवपुरी चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 30 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया

<u>बरामदगीः-</u>

30 क्वार्टर देशी शराब

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर
3. मुख्य आरक्षी शौकत खां
2. आरक्षी शिवम गुप्ता

(ख). आरक्षी लवलेश तथा मोनू राय थाना राजापुर द्वारा अभियुक्त पप्पू त्रिपाठी पुत्र संतोष त्रिपाठी निवासी रुपौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 40 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>बरामदगीः-</u>

40 क्वार्टर देशी शराब

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. आरक्षी लवलेश थाना राजापुर
2. मोनू राय थाना राजापुर

(2). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने एक वाँछित व एक वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(1). थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री इन्द्रजीत गौतम द्वारा मु0अ0सं0 20/22 धारा 147/148/323/504/506/313/376 भादवि0 के वांछित अभियुक्त विजय कुमार पुत्र रामबदल उर्फ माताबदल निवासी शीतलपुर तरौंहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. **थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री इन्द्रजीत गौतम**
2. **आरक्षी अनूप विश्वकर्मा 2. आरक्षी संदीप 3. आरक्षी रणधीर सिंह**

(2). चौकी प्रभारी सीतापुर श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 250/13 धारा 04/25 आर्म्स एक्ट के वारण्टी अभियुक्त रमेश उर्फ जंगली पुत्र गंसू निवासी पुरानी बस स्टैंड चौगलिया बाजार सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. **उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर**
2. **आरक्षी सोमदेव**

(3). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक परिवार परामर्श केंद्र श्रीमती सविता श्रीवास्तव एवं महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा पति पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर पति-पत्नी में सुलह कराते हुये शादी के अटूट बन्धन को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती नीतू पुत्री संतोष कपाड़िया निवासी पटेल नगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष में प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके पति छोटू पुत्र रामसूरत निवानी कुसिया पुरवा ग्राम पराको थाना राजापुर चित्रकूट उसके साथ लड़ाई झगड़ा एवं मारपीट करते है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समस्या के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र को निर्देशित किया गया। प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर, उनके पति से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। पति द्वारा भविष्य में अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा न करने तथा पति के कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। पति-पत्नी की आपसी सुलह होने पर प्रभारी परामर्श केंद्र द्वारा दोनो को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी तथा यह भी कहा गया कि आपस में तारतम्यता बनाकर कर रहें।

(4). आज दिनाँक 22.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया।

(5). आज दिनांक 22.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए

(6). दिनाँक-21.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(7). आज दिनांक 22/7/2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर/यातायात श्री शीतला प्रसाद पांडेय के पर्यवेक्षण में यातायात प्रभारी श्री योगेश कुमार यादव एवं उनकी टीम द्वारा ज्ञान

भारती इण्टर क़लेज एवं सेठ मूलचन्द्र विद्या मंदिर में स्कूल में चल रहे वाहनों की फिटनेस, बीमा प्रदूषण, जीपीएस, कैमरा, स्पीड गवर्नर एवं वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की चेकिंग की गयी । चेकिंग के दौरान जिन वाहनों में सुरक्षा जालियाँ नही लगी थी उनमे लगवाने के लिए भी निर्देशित किया गया। वाहनों में मौजूद फर्स्ट एड बॉक्स चैक किया गया एवं फायर सिलेंडर की वैधता को देखते हुए उनको चला कर देखा गया । यातायात प्रभारी द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों के सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों को लाने एवं ले जाने तथा उतारते-चढ़ाते, रोड क्रॉस करवाते समय सड़क के किनारे खड़ी करे एवं निर्धारित सीट अनुसार बच्चों को बैठाए क्षमता से अधिक न बैठाए। सतर्कतापूर्वक ध्यान देने एवं धीमी गति से वाहन चलाने हेतु निर्देशित किया गया । वाहन चालकों को समय-समय पर आंखों का चेकअप कराने हेतु भी बताया गया । यातायात प्रभारी द्वारा स्कूली वाहन चालको यातायात नियमों का पालन करने हेतु निर्देश भी दिये गये ।

(8). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप श्री दुर्गेश प्रसाद गुप्ता द्वारा मु0अ0सं0 62/2022 धारा 452,376,324,506 भादवि0 थाना भरतकूप में वाँछित अभियुक्त रिंकू पुत्र पहलवान सिंह निवासी तराव थाना भरतकूप के विरूद्ध मान0 न्यायालय द्वारा धारा 82 सीआरपीसी के अन्तर्गत जारी की गयी नोटिस को अभियुक्त के घर के दरवाजें पर चस्पा की गयी एवं ग्राम में मुनादी करायी गयी ।